HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 14530/2026
CNR: RJHC020892232026 | URN: CRLMB / 26820U / 2026

Rishi Pareek S/o Shri Sunil Pareek, Aged About 22 Years, R/o Atru Road Khanpur, Police Station Khanpur, District Jhalawar At Presently Care Of Ajay Chaurvedi, Tabela Road, Kayastha Mohalla, Jagalawar, Police Thana Kotwali District Jhalawar (Raj.) (At Present Confined In Central Jail, District Kota).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pawan Kumar Verma, Adv. Mr. Lokesh Gopaliya, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vijay Singh Yadav, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

27/10/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र धारा 483 बी एन एस एस के अन्तर्गत पुलिस थाना **मण्डाना, कोटा ग्रामीण** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**97/2024** अपराध अन्तर्गत धारा **302, 34 भा.दं.सं.** व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है, मृतक के चाकू मारने का आरोप सह अभियुक्त अदनान पर है, अभियुक्त करीब ढाई वर्ष से अभिरक्षा में है, प्रकरणमें महत्वपूर्ण गवाहान के बयान हो चुके हैं, सह अभियुक्त वसीम खान की जमानत भी इसी न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने एवं उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

Digitally signed by
MURARI LAL
SHARMA
Date: 2026.10.30
10:51:00 IST

विद्वान लोक अभियोजक ने प्रार्थना पत्र का विरोध किया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

दोनों पक्षों के तर्को के संदर्भ में अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार किया।

वर्तमान मामले में अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने सह अभियुक्त अदनान आदि के साथ मिलकर मृतक की हत्या कारित की, चाकू मारने का आरोप अभियुक्त अदनान पर है तथा उसी से चाकू बरामद होना बताया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन वापिस लिए जाने के आधार पर अस्वीकार किया गया था।

प्रकरण में उपलब्ध समस्त तथ्यात्मक स्थिति तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों, सह अभियुक्त की जमानत स्वीकार होने, अभिरक्षा की अवधि एवं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **ऋषी पारीक पुत्र सुनील पारीक** की ओर से प्रस्तुत यह **द्वितीय** जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व **पचास–पचास हजार रूपये** की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

177/Murari Lal Sharma